



प्रभास्मि शशि सूर्ययोः

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)



पंजी.कार्या: कमरा नं. 229, जनपथ, विद्युत भवन, जयपुर-3020005

Website: energy.rajasthan.gov.in/jvvn1 ई-मेल:- secomml@jvvn1.org

फोन नं.: 0141-2747041 फैक्स नं. 0141 - 2744803, CIN: U40109RJ2000SGC016486

क: जेपीडी / मु.अ.(नि.मा.-मुख्यालय) / अधी.अभि.(वाणिज्य) / फा. / प्रे. 678

दिनांक: 06.08.2021

आदेश


विषय:-लॉकडाउन के कारण वीसीआर के प्रकरणों की राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष सुनवाई हेतु अवधि बढ़ाने के संबंध में।

प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.33(2) गृह-9/2019 दिनांक 18.04.2021 एवं आदेश क्रमांक 7(1) गृह-7/2021 दिनांक 23.04.2021, 30.04.2021, 06.05.2021 एवं 23.05.2021 के द्वारा कार्यालयों को खोलने एवं सार्वजनिक आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। जिसके कारण ऐसे उपभोक्ता और गैर उपभोक्ता जिनके खिलाफ सतर्कता जांच प्रकरण दर्ज थे और वे इस प्रतिबंध के कारण राजस्व निर्धारण नोटिस से 30 दिवस की अवधि जो कि 18.04.2021 से 07.06.2021 के मध्य थी, राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष अपील नहीं कर सकें थे।

अतः ऐसे उपभोक्ता एवं गैर उपभोक्ता को जिनका राजस्व निर्धारण नोटिस जारी करने के पश्चात 30 दिवस समाप्त होने की दिनांक 18.04.2021 से 07.06.2021 के मध्य थी उनको दिनांक **31.08.2021** तक समिति के समक्ष अपील करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

यह निर्देश अध्यक्ष डिस्कॉम्स की अनुमति से जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से



6.8.21
(पी. के. गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)